मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1936 **भोपाल, दिनांक 06/10/2025**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

भारसाधक अधिकारी / मंडी सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
______ - ______ (समस्त)

विषय - **सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना हेतु कृषि उपज मंडियों में तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु समयसीमा का निर्धारण।**

संदर्भ - **कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/1934-1935, दिनांक 03/10/2025**

सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना के संबंध में संदर्भित पत्र से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए है। इसके साथ ही VC दिनांक 01.10.2025 एवं दिनांक 06.10.2025 में राज्य शासन / मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त क्रम में ही योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आंचलिक कार्यालय एवं कृषि उपज मंडियों से अपेक्षित कार्यवाहियों की सूची एवं समयसीमा संलग्न है। निर्धारित समयसीमा अनुसार समस्त कार्यवाहियों की पूर्णता की स्थिति से मंडी वार रिपोर्ट संकलित कर दिनांक 14.10.2025 को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

मंडियां, आंचलिक कार्यालय को ही जानकारी प्रेषित करें, आंचलिक अधिकारी संभागवार सभी अधीनस्थ मंडियों की जानकारी संकलित कर मुख्यालय में प्रेषित करेंगे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

6/10/25

(अनुराग सक्सेना)आईएएस
अपर प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/1937 **भोपाल, दिनांक** 06 **/10/2025**

प्रतिलिपि :- **कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

अपर प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

आंचलिक कार्यालय एवं कृषि उपज मंडियों से अपेक्षित कार्यवाहियों की सूची एवं समयसीमा

क्र.	अपेक्षित कार्यवाही	समयसीमा दिनांक
01	जिला कलेक्टर स्तर से प्रत्येक मंडी / उप मंडी के लिए जिला स्तर के अधिकारी की योजना के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति।	10.10.2025
02	भारसाधक अधिकारी की अध्यक्षता में मंडी स्तरीय समिति का गठन	10.10.2025
03	संभागीय आयुक्त महोदय से उक्त विषय पर जिला कलेक्टर्स की बैठक/ VC का अनुरोध।	10.10.2025
04	आंचलिक कार्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम का संचालन। (प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक)	06.10.2025
05	मंडी स्तर पर हेल्प डेस्क का संचालन।	06.10.2025
06	मंडी स्तर पर कंट्रोल रूम का संचालन। (प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक)	08.10.2025
07	FAQ निर्धारण के संबंध में सैंपलिंग की कार्यवाही	07.10.2025 से प्रारंभ
08	प्रवेश गेट एवं प्रांगण में (नीलामी स्थल) पर CCTV स्थापना एवं संचालन का सत्यापन। CCTV हेतु पॉवर बैकअप की उचित व्यवस्था।	10.10.2025
09	मंडीवार SOP का निर्धारण एवं विस्तृत आदेश जारी करना - विभिन्न कार्यों (प्रवेश, ट्रैफिक प्रबंधन, नीलामी, तौल,	13.10.2025

	CCTV रिकॉर्डिंग संधारण, ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चितता, मॉडल रेट का प्रदर्शन, कृषक शिकायतों का तत्काल निराकरण आदि) का निर्धारण एवं प्रत्येक कार्य के लिए कर्मचारियों व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण एवं कर्मचारियों की बैठक/ प्रशिक्षण।	
10	उपमंडी प्रांगण के संबंध में भी बिंदु 09 अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना।	**13.10.2025**
11	उपमंडी प्रांगणों में - • ई-मंडी हेतु POS मशीन / आवश्यक हार्डवेयर तथा इंटरनेट की व्यवस्था। • इलेक्ट्रॉनिक तौल व्यवस्था एवं CCTV मॉनिटरिंग व्यवस्था। • व्यापारियों की उपलब्धता की सुनिश्चितता। • आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण। उपमंडी प्रांगणों में व्यवस्थाओं का dry run (सत्यापन)।	**13.10.2025**
12	संभावित आवक को देखते हुए मंडी स्तर पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पूर्व उपाय। आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में कार्यवाही। • इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय कर पूर्व से सूचना दी जाना। • पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही।	**13.10.2025**
13	CCTV रिकॉर्डिंग के सुरक्षित संधारण हेतु आवश्यक व्यवस्था / उत्तरदायित्व निर्धारण।	**13.10.2025**
14	कृषकों को पूर्ण ऑनलाइन भुगतान बैंक खाते में ही प्राप्त करना होगा, इस संबंध में कृषकों के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लगातार सूचना प्रसारण। (इसके अभाव में संबंधित कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।)	**06.10.2025 से प्रारंभ**

15	योजना का लाभ केवल मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में विक्रय पर ही प्राप्त होगा, एमपी फार्मगेट एप के माध्यम से विक्रय करने पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा, इस संबंध में कृषकों के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लगातार सूचना प्रसारण।	**06.10.2025 से प्रारंभ**
16	कृषक के नॉमिनी को मंडी में विक्रय के समय वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इस संबंध में कृषकों के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लगातार सूचना प्रसारण।	**06.10.2025 से प्रारंभ**
17	समय-समय पर जारी निर्देशों के संबंध में PRO को अवगत कराया जाना।	**सतत**